चित्रकूट-पुलिस

(1). "मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत आज दिनांक 30.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद चित्रकूट के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के अलावा जागरुकता हेतु चलाए जा रहे अभियानों के बारे में सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 30.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री इमरान खान व उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 88/25 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम के प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.04.2025 को मुखविर की सूचना पर एक वाहन कार डीजायर नं0 UP 78 KN 0543 को वेराउर वांगर गांव के पास रोककर चेक किया गया तो उपरोक्त वाहन में 06 बोरी में कुल 03 कुन्तल 15 किलोग्राम गोमांश बरामद हुआ। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर थाना मु0अ0सं0 88/25 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम बनाम वाहन संख्या UP 78 KN 0543 का स्वामी शीला व 02 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया। दिनांक 29.06.2025 को मुखविर की सूचना पर उ0नि0 इमरान खान व उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त अमन खान पुत्र मुस्तकीम खान निवासी 39ए वशीर स्टेट रोशन नगर थाना रावतपुर जनपद कानपुर नगर को लूपलाइन पेट्रोल टंकी के आगे यमुना पुल से गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1.उ0नि0 इमरान खान थाना राजापुर
2.आरक्षी प्रकाश मिश्रा
3.आरक्षी लवकुश यादव
4.आरक्षी अजय मिश्रा

(4). आज दिनाँक-30.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले बैंक/वित्तीय संस्थानों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बैंक सुरक्षा रजिस्टर को चेक किया गया एवं डियूटी में लगे पुलिसकर्मियों को सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक निर्देश दिये एवं सतर्कतापूर्वक डियूटी करने हेतु बताया गया । बैंक में लगे अलार्म/सायरन, सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण कर चेक किया गया कि सही प्रकार से कार्य कर रहे है या नहीं तथा शाखा प्रबंधकों से सुरक्षा सम्बन्धी वार्ता की गयी । बैंक परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को परिसर से बाहर कर निर्देश दिये गये ।

(5). आज दिनाँक 30.06.2025 को पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कार्यालय/लाइन्स श्री अरविन्द कुमार वर्मा की उपस्थिति में पुलिस विभाग में अपनी सेवा देने वाले व अधिवर्षता पूर्ण करने वाले प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस श्री देवेन्द्र नारायण व्यास,उ0नि0 नागरिक पुलिस श्री रामकृत यादव,उ0नि0 नागरिक पुलिस श्री अजव बहादुर सिंह,उ0नि0ना0पु0 श्री त्रिलोचन उपाध्याय,उ0नि0ना0पु0 श्री नन्दराम व मुख्य आरक्षी कृष्णपाल सिंह की विदाई समारोह का आयोजन किया गया।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे प्रतिसार निरीक्षक सहित 05 उ0नि0 व 01 मुख्य आरक्षी को माला पहनाकर, प्रशस्ति-पत्र एवं उपहार प्रदान कर भावभीनी विदाई दी गई एवं मौके पर उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण/परिवारीजनों को हल्का नास्ता करवाकर मुंह मीठा कराया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सेवानिवृत हो रहे सभी लोगों से कहा गया कि वह घर जाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें एवं निरन्तर व्यायाम करते रहें, आपने जीवन का अमूल्य समय विभाग को दिया है, मैं समस्त पुलिस विभाग की ओर से आपके सुखद जीवन एवं परिवार की तरक्की की मनोकामना करता हू एवं ससम्मान सेवानिवृत होने पर मेरा आप दोनों को सैल्यूट है। पुलिस विभाग में भर्ती होने के पश्चात आपको जीवन में दोनों ही कर्तव्यों एक आपकी वर्दी पहने हुए समय में अपने कर्तव्यों का पालन,दूसरा पारिवारिक कर्तव्य दोनों का ही सामंजस्य बैठाना पड़ता है इसके बावजूद आप लोगों ने अपने परिवार को अच्छे संसार दिये तथा उपस्थित परिजनों से अपील की गयी कि एक समय था आप लोगों के पिता द्वारा पालन पोषण किया गया लेकिन अब आप लोगों को ध्यान देना होगा। अब आप लोगों को अपनी तीसरी पीढ़ी के साथ समय बिनाता बड़ी गौरव की बात होगी।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सेवानिवृत हो रहे प्रतिसार निरीक्षक सहित 05 उ0नि0 व 01 मुख्य आरक्षी को माला पहनाकर उनकी स्वास्थ्य का कामना करते हुए उनको योगदान के बारे में बताया गया तथा उनकी कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की गयी।

प्रतिसार निरीक्षक सहित सभी लोगों द्वारा कहा गया कि हम सभी लोग आज इस विभाग से अपनी सेवाएं देकर जा रहा हूँ लेकिन मेरे सभी छोटे भाई बहिन जो अपनी सेवाएं दे रहे है सभी अनुशासित होकर अपने कर्तव्यों का पूर्ण मनोयोग से पालन करें। जिससे आपकी सेवाकाल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नही उत्पन्न होगी। समस्या आने पर आप लोग उच्चाधिकारियों की सलाह का पालन करें।

इस दौरान वाचक श्री राजीव कुमार सिंह,प्रधान लिपिक श्री अनिल मोहन शुक्ला, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तों को 56 क्वार्टर देशी शराब व 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(1). उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी थाना कोतवाली कर्वी मय हमराह आरक्षी विपिन व आरक्षी अदनाम द्वारा अभियुक्त विनय कुमार पुत्र रामसजीवन निवासी लौढियाखुर्द थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को एक झोले में 18 क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया

(2). उ0नि0 कैलाशनाथ यादव थाना कोतवाली कर्वी मय हमराह आरक्षी दुर्गेश द्वारा अभियुक्त सत्यनारायण शिवहरे पुत्र बब्बू शिवहरे निवासी शिवरामपुर मारवाड़ी मोहल्ला थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को एक झोले में 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया

(3). उ0नि0 श्री अरमान आलम थाना पहाड़ी मय हमराह आरक्षी नवीन कुमार द्वारा अभियुक्त छोटेलाल रैदास पुत्र जगन्नाथ निवासी बारामाफी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 18 अदद पाउच मस्तीहू शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). उ0नि0 श्री अजहर जमाल थाना सरधुवा मय हमराह आरक्षी सुजीत यादव द्वारा अभियुक्त रामशरण पुत्र केशन प्रजापति निवासी बिहरवा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।